सं0-13/207/62-2-2014-2/3(19)/2013

प्रेषक,

रवि प्रकाश अरोडा,
सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

अधिशासी अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
संबंधित प्रखण्ड।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनउ- दिनांक- 28 फरवरी,2014

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 के अधीन संचालित नि:शुल्क बोरिंग योजना में आवश्यकतानुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग के पत्र सं0-जी-310/ल0सिं0/बजट-3/2013-14, दिनांक 20-01-2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 के अधीन संचालित कम्प्यूटर हाईवेयर/साफटवेयर का क्रय लेंखाशीर्षक 2702-ल्घु सिंचाई-आयोजनागत'-80'सामान्य-800-अन्य व्यय-03-लघु सिंचाई योजना-46-कम्प्यूटर हाईवेयर का क्रय के मानक मद'46 में प्राविधानित धनराशि रू0-100.00 लाख के सापेक्ष अवशेष रू0-50.00 लाख (रूपया पचास लाख मात्र) तथा लेंखाशीर्षक 2702-ल्घु सिंचाई-आयोजनागत'-80'सामान्य-800-अन्य व्यय-03-लघु सिंचाई योजना-27-सतिब्सडी (सतही पम्पसेट) की योजना में प्राविधानित धनराशि रू0--15.40 लाख में से रू0-11.95 लाख (रूपया ग्यारह लाख पंचानवे हजार मात्र) इस प्रकार कुल धनराशि रू0-61.95 लाख (रूपया इकसठ लाख पंचानबे हजार मात्र) को अनुदान सं0-13 के अधीन लेंखाशीर्षक 2702-ल्घु सिंचाई-आयोजनागत'-80'सामान्य-800-अन्य व्यय-07-लघु तथा सीमान्त कृषकों को कृषि उत्पादन हेतु सहायता (बोरिंग तथा पम्पसेट निर्माण हेतु अंश का 50 प्रतिशत अनुदान) (जिला योजना-27-सब्सिडी) में पुनर्विनियोग के माध्यम से (संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9) संक्रमित की गयी है, को स्वीकृत कर व्यय किये जाने की महामहिम राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- उक्त पुनर्विनियोग के फलस्वरूप लेंखाशीर्षक 2702-ल्घु सिंचाई-आयोजनागत'-80'सामान्य-800-अन्य व्यय-07-लघु तथा सीमान्त कृषकों को कृषि

http://shasanadesh.up.nic.in

उत्पादन हेतु सहायता (बोरिंग तथा पम्पसेट निर्माण हेतु अंश का 50 प्रतिशत अनुदान) (जिला योजना-27-सब्सिडी) में (प्राविधानित धनराशि तथा संक्रमित धनराशि रू0-61.95 लाख (रूपया इकसठ लाख पंचानबे हजार मात्र को मिलाकर) वर्तमान समय में यउपलब्ध होने वाली कुल धनराशि रू0-414195/- हजार में से धनराशि रू0-61.95 लाख (रूपया इकसठ लाख पंचानबे हजार मात्र) को मा0 मंत्री जी के भ्रमण के दौरान दिये गये लक्ष्यों की पूर्ति एवं अधिशासी अभियंता, जनपद इलाहाबाद, सीतापुर, अलीगढ़ एवं आजमगढ़ के अतिरिक्त मांग की पूर्ति हेतु भुगतान किये जाने की अनुमति शासनादेश सं0-1215/62-2-2013-2/3(19)/2013, दिनांक 11-4-2013 तथा शासनादेश सं0-6080/62-2-2013-2/3(19)/2013, दिनांक 12-12-2013 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल प्रदान करते है।

3- उक्त् के अतिरिक्त मुख्य अभियंता द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि जिला योजना में अपेक्षित परिव्यय उपलब्ध है।

4- तथ्संबंधित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 के अधीन लेंखाशीर्षक 2702-ल्घु सिंचाई-आयोजनागत'-80'सामान्य-800-अन्य व्यय-07-लघु तथा सीमान्त कृषकों को कृषि उत्पादन हेतु सहायता (बोरिंग तथा पम्पसेट निर्माण हेतु अंश का 50 प्रतिशत अनुदान) (जिला योजना-27-सब्सिडी) के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 के अ0शा0संख्या-ई-2-204/x-14, दिनांक 28 फरवरी,2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,
ह0/
(रवि प्रकाश अरोडा)
प्रमुख सचिव।

सं0-207(1)/62-2-2014, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) ।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।
3- मुख्य अभिंयता, लघु सिंचाई विभाग उ0 प्र0 लखनऊ।
4- संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त।
5- संबंधित जिलाधिकारी।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- संबंधित मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त् जिलाधिकारी (विकास)/जिला विकास अधिकारी।

7- संबंधित सहायक अभियंता, लघु सिचाई विभाग।

8- संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।

9- नियोजन अनुभाग-3, उ0 प्र0 शासन।

10- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन।

11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन को (प्रपत्र बी0एम0-09 की प्रति सहित 03 प्रतियों मे)।

12- निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।

13- एन0आई0सी0 की प्रति।

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0/

(एस0पी0 सिंह)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in